फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2025-26

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)**	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
2235-60-200-04-00 2035-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200-अन्य कार्यक्रम 04-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	100.00	70.00	70.00	70.00	30.00
योग-	**100.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**30.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)** अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2059-01-051-03-00 2059-लोक निर्माण कार्य 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव 29-अनुरक्षण	500.00	570.00	70.00	70.00	570.00
योग -	**500.00**	**570.00**	**70.00**	**70.00**	**570.00**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैः-

परिवहन आयुक्त कार्यालय के सहायता सेल के पत्र दिनांक 04 फरवरी 2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200-अन्य कार्यक्रम 04-बसो में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता के मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में प्रावधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष रू0 70.00 लाख की बचत सम्भावित है।

बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता के लिए सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अंतर्गत गत तीन वित्तीय वर्षो आंवटन के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः-

(धनराशि लाख रू० में)

क०सं०	वित्तीय वर्ष	कुल बजट प्राविधान	आंवटित धनराशि	व्यय धनराशि
1	2022-23	50.00	15.90	14.70
2	2023-24	50.00	28.20	23.10
3	2024-25	50.00	22.804	16.954
4	2025-26	100.00	15.75	8.05

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विगत वर्षो की तरह चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी अधिकतम धनराशि रू0 30.00 लाख व्यय होने की सम्भावना है।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव के मानक मद 29-अनुरक्षण में धनराशि रू0 500.00 लाख का प्रावधान है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के मरम्मत/अनुरक्षण हेतु गठित विभागीय अप्रेजल समिति की दिनांक 17.12.2025 को आयोजित बैठक में धनराशि रू0 547.25 लाख के आगणन स्वीकृत किये गये। उक्त के क्रम में शासनादेश दिनांक 19 जनवरी, 2026 द्वारा कुल धनराशि रू0 500.00 लाख के निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0 500.00 लाख का संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान/आवंटित किये जाने की कार्यवाही परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा की जा रही है, जिसे शीघ्र ही आवंटित कर दिया जायेगा। परिवहन आयुक्त कार्यालय स्तर पर परिक्षेत्र/सम्भागीय/सहायक सम्भागीय कार्यालयों (रायबरेली, बलिया, अयोध्या व सुल्तानपुर) से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार उक्त लेखाशीर्ष में लगभग धनराशि रू0 70.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता आकलित की गयी है। इस प्रकार परिवहन विभाग के लेखाशीर्ष 2059-01-051-03-के मानक मद 29 अनुरक्षण में धनराशि रू0 70.00 लाख की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0 संख्या-बजट-1-514, दिनांक 16-03-2026

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या-39/2026/505/तीस-3-2026 दिनॉक 17 मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in